



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 666]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 25, 2011/वैशाख 5, 1933

No. 666]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 25, 2011/VAISHAKHA 5, 1933

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2011

का.आ. 782(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए जारी करने का प्रस्ताव करती है, ऐसे व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है प्रकाशित करती है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पंद्रह दिन की अवधि या उसके अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा।

और प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 या इलैक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पता secy-moef@nic.in पर भेजे जा सकेंगे।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) संशोधन नियम, 2011 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“2 (1) नियम 5 और नियम 8 के उपबंध संबद्ध विनिर्माण इकाई के स्वामी या अधिष्ठाता द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात के लिए किसी आदेश के विरुद्ध अनन्य रूप से निर्यात प्रयोजनों के लिए कैंरी बैगों, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली के विनिर्माण को लागू नहीं होगा।”

(2) यह छूट किसी अधिशेष या निराकृत अवशेष और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं पर लागू नहीं होगी।

3 उक्त नियमों के नियम 3 में, —

(क) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) “कैंरी बैग” से वस्तुओं के वहन करने या वितरण करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी प्लास्टिक सामग्री से बने बैग अभिप्रेत है किंतु इसमें वह बैग सम्मिलित नहीं है जो पैकिंग के समग्र भाग का निर्माण करते हैं या बनाते हैं जिसमें उपयोग से पूर्व माल को मुहरबंद किया जाता है”;

(ख) खंड (छ) में “पैकेज” शब्द के स्थान पर “थैली” शब्द रखा जाएगा ;

(ग) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

(i) “विनिर्माता” से कोई ऐसा व्यक्ति जो प्लास्टिक कैंरी बैग का विनिर्माण करता है या ऐसा ब्रांड का स्वामी है जो ऐसे बैगों का उपयोग कर रहा है, अभिप्रेत है और बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या उसी प्रकार की वस्तुओं की दशा में विनिर्माता, ऐसे ब्रांड का स्वामी और/या आयातकर्ता होगा जो बाजार में उत्पाद को लाता है”

(घ) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ट) “बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली” से पैकिंग सामग्री जैसे कागज, कागज बोर्ड धात्विक स्तर या एल्युमिनियम पन्नियां या लैमिनेट रूप में या सह बहिर्वेधन संरचना के रूप में हों, के एक या अधिक स्तरों के संयोजन से कम से कम प्लास्टिक का एक स्तर वाली पाउच या थैली अभिप्रेत है” ;

(ड) खंड (ड) में, “बहुस्तरीय पैकेजिंग” शब्दों के स्थान पर “बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली आदि” शब्द रखे जाएंगे।

(च) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

(ड) “रजिस्ट्रीकरण” से यथास्थिति, संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्लास्टिक के कैंरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनःचक्रण की विनिर्माण इकाइयों का रजिस्ट्रीकरण अभिप्रेत है ;

4. उक्त नियमों के नियम 4 के खंड (क) में, “प्राधिकरण” शब्द के स्थान पर “रजिस्ट्रीकरण” शब्द रखा जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 5 के खंड (क) में, “सफेद” शब्द के स्थान पर “प्राकृतिक रंगत (रंगहीन) जो किसी गिलाए गए रंजकों के बिना हैं” शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों के नियम 6 के खंड (ज) में “प्रदूषण सन्नियमों” शब्दों के स्थान पर “प्रदूषण नियंत्रण सन्नियमों” शब्द रखे जाएंगे।

7. उक्त नियमों के नियम 8 में “बहुस्तरीय पैकेजिंग” शब्दों, जहां-जहाँ वे आते हैं, के स्थान पर “बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली” शब्द रखे जाएंगे।

8. उक्त नियमों के नियम 9 में, —

(क) खंड (क) में, “कैरी बैगों और बहुस्तरीय प्लास्टिकों” शब्दों के स्थान पर “प्लास्टिक कैरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) खंड (ख) में, “बहुस्तरीय प्लास्टिकों” शब्दों के स्थान पर “बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) कोई व्यक्ति अपने उत्पादन के प्रारंभ से पूर्व यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या पुनःचक्रित प्लास्टिक कैरी बैगों या बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली या कोई अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट का विनिर्माण नहीं करेगा” ;

(घ) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ड)(i) प्रत्येक, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने का विनिश्चय करेगी, परंतु यदि सभी प्रकार से पूर्ण किसी आवेदन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा आवेदक को अंतिम विनिश्चय संसूचित नहीं किया जाता है तो रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया समझा जाएगा ;

(ii) कोई विनिर्माता जो पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग (संशोधन) नियम, 2003 के अधीन विनिर्माण के लिए पहले ही रजिस्ट्रीकृत है, उससे उक्त नियमों के अधीन रजिस्टर होने की अपेक्षा नहीं होगी और अन्य विनिर्माताओं को इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उन्हें रजिस्टर होना होगा।”।

(9) उक्त नियमों में, प्ररूप - 1 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

“ प्ररूप 1
(नियम 9 देखें)

प्लास्टिक कैरी बैग, बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली के विनिर्माण के लिए किसी इकाई के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रेषक

.....
.....

..... (अधिष्ठाता का नाम और पूरा पता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,
.....
.....
..... राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति

महोदय,

मैं/हम प्लास्टिक अपशिष्ट (विनिर्माण और प्रहस्तन) नियम, 2011 के नियम 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूँ/करते हैं ।

भाग - क साधारण	
1. (क)	इकाई का नाम और अवस्थिति
(ख)	इकाई का पता
(ग)	निम्नलिखित के विनिर्माण के लिए अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण : (i) कैरी बैग (ii) बहुस्तरीय प्लास्टिक पाउच या थैली
(घ)	विनिर्माण क्षमता
(ङ)	नवीकरण की दशा में पूर्व रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण की तारीख
2.	क्या इकाई, राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र के जिला उद्योग केन्द्र में (डी आई सी)/ जिला आयुक्त लघु उद्योग / (डी सी एस एस आई)में रजिस्ट्रीकृत है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें ।
3. (क)	परियोजना पर विनिर्धानित कुल पूंजी
(ख)	उत्पादन के आरंभ करने का वर्ष
4. (क)	उत्पादों और उप उत्पादों की सूची और मात्रा
(ख)	प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची और मात्रा
5.	उत्पादों और उत्पादित अपशिष्ट निबंधनों में जिसके अंतर्गत नियंत्रित विद्युत उत्पाद और जल भी है, इनपुट और आउटपुट को दर्शित करते हुए विनिर्माणकारी प्रक्रिया का एक प्रवाहित डायग्राम प्रस्तुत करें ।
6.	विनिर्मित किए जाने वाले कैरी बैगों की मोटाई
7	इन नियम के अनुपालन की प्रास्थिति

भाग ख

द्रव बहिस्त्राव और गैसीय उत्सर्जन से संबंधित

8.	(क) क्या इकाई, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें ।
	(ख) क्या इकाई, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अधीन विधिमान्य सहमति रखती है ? यदि हां, तो प्रति संलग्न करें ।

भाग - ग
अपशिष्ट से संबंधित

9.	टोस अपशिष्ट :	
	(क) उत्पादित अपशिष्ट की कुल मात्रा (ख) संयंत्र के भीतर भंडारण की पद्धति (ग) अपशिष्टों के व्ययन के लिए किए गए उपबंध	
		नाम और हस्ताक्षर पदनाम
	स्थान तारीख	

टिप्पण -- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 249(अ) तारीख 4 फरवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. 17-2/2001-एचएसएमडी]

राजीव गाबा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2011

S.O. 782(E).— The following draft of certain rules to amend the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by the sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published for the information of public likely to be affected thereby; and the notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of fifteen days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to public;

Objections or suggestions to proposals contained in the draft notification, if any, may be addressed, within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110 003 or electronically at e-mail address: secy-moef@nic.in;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

1415 GI/11-2

DRAFT RULES

In exercise of the powers conferred by the sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby make the following rules to amend the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011, namely: —

1. (1) These rules may be called the Plastic Waste (Management and Handling) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 (herein referred to as said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely: —

“2(1) The provisions of rules 5 and 8 shall not apply to the manufacture of carry bags, multilayered plastic pouch or sachet exclusively for export purposes, against an order for export received by the owner or occupier of the concerned manufacturing unit.

(2) This exemption does not apply to any surplus or rejects, left over and the like.”

3. In the said rules, in rule 3,—

(a) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(b) “carry bags” mean bags made from any plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use’;

(b) in clause (g), for the word “packages”, the word “sachet” shall be substituted;

(c) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(i) “manufacturer” means any person who manufactures plastic carry bags or a brand owner using such bags and in case of multilayered plastic pouch or sachet or like, manufacturer shall be the brand owner and/ or importer who introduces the product in the market’;

(d) for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:—

‘(k) “multilayered plastic pouch or sachet” means a pouch or sachet having at least one layer of plastic in combination with one or more layers of packaging material such as paper, paper board, metalised layers or aluminium foil, either in the form of a laminate or co-extruded structure’;

(e) in clause (m), for the words “multilayered packaging”, the words “multilayered plastic pouch or sachet etc.” shall be substituted;

(f) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely :—

‘(n) "registration" means registration with the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned, as the case may be, of units manufacturing plastic carry bags, multilayered plastic pouch or sachet or recycling of plastic waste’ ;

4. In the said rules, in the rule 4, in clause (a), for the word "authorisation", the word "registration" shall be substituted.
5. In the said rules, in the rule 5, in clause (a), for the word "white", the words "in natural shade (colourless) which is without any added pigments" shall be substituted.
6. In the said rules, in the rule 6, in clause (h), for the words "pollution norms" the words "pollution control norms" shall be substituted.
7. In the said rules, in the rule 8, for the words "multilayered packaging", wherever they occur, the words "multilayered plastic pouch or sachet" shall be substituted.
8. In the said rules, in the rule 9, —
 - (a) in clause (a), for the words "carry bags and multilayered plastics", the words "plastic carry bags, multilayered plastic pouch or sachet" shall be substituted;
 - (b) for clause (b), for the words "multilayered plastics", the words "multilayered plastic pouch or sachet" shall be substituted;
 - (c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

“(c) no person shall manufacture plastic carry bags, multilayered plastic pouch or sachet or recycle plastic carry bags or multilayered plastic pouch or sachet or any plastic waste without obtaining registration certificate from the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, prior to the commencement of its production”;
 - (d) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely :—

“(e) (i) every State Pollution Control Board or Pollution Control Committee, as the case may be, shall take a decision on the grant of registration within a period of ninety days of receipt of an application which shall complete in all respects:

Provided that the registration may be deemed to have been granted in case no final decision is communicated to the applicant by the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee within a period of ninety days from the date of an application complete in all respects;

(ii) the manufacturer who has already registered for manufacturing under the Recycled Plastics Manufacture and Usage (Amendment) Rules, 2003 shall not be required to register under the said rules and whereas others shall have to register within the period of ninety days from the date of coming into force of these rules.”.

- (9) In the said rules, for the FORM-I and the entries relating thereto, the following Form and entries shall be substituted, namely: —

“FORM - I

[See rules 9]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF A UNIT FOR THE
MANUFACTURING OF PLASTIC CARRY BAGS, MULTILAYERED
PLASTIC POUCH OR SACHET

From:

.....

.....(Name and full address of the occupier)

To

The Member Secretary,

..... Pollution Control Board/Pollution Control Committee

.....

.....

Sir,

I/We hereby apply for registration under rule 9 of the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011

PART - A GENERAL		
1.(a)	Name and location of the unit	
(b)	Address of the unit	
(c)	Registration required for manufacturing-of: (i) Carry bags: (ii) Multilayered plastic pouch or sachet	
(d)	Manufacturing capacity	
(e)	In case of renewal, previous registration number and date of registration	
2.	Is the unit registered with the District Industries Centre (DIC)/District Commissioner Small Scale Industries (DCSSI) of the State Government/Union territory? If yes, attach a copy.	
3.(a)	Total capital invested on the project	
(b)	Year of commencement of production	
4. (a)	List and quantum of products and by-products	

(b)	List and quantum of raw materials used	
5.	Furnish a flow diagram of manufacturing process showing input and output in terms of products and waste generated including for captive power generation and water.	
6.	Thickness of carry bags to be manufactured	
7.	Status of compliance with these rules	
PART – B PERTAINING TO LIQUID EFFLUENT AND GASEOUS EMISSIONS		
8.	(a) Does the unit have a valid consent under the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)? If yes, attach a copy	
	(b) Does the unit have a valid consent under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981)? If yes, attach a copy	
PART – C PERTAINING TO WASTE		
9.	Solid Wastes: (a) Total quantum of waste generated (b) Mode of storage within the plant (c) Provision made for disposal of wastes	
		Name and Signature Designation.”.
Date :		
Place :		

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification no SO 249 (E), dated the 4th February, 2011.

[F. No. 17-2/2001-HSMD]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

1415 GI/11-3